46

न्यायालय श्रीमान समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0 भोपाल

प्रकरण कमांक 1098 पी.बी.आर.2004 निगरानी

गुलाव सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
निवासी– ग्राम बर्रीघाट थाना गुलावगंज
तहसील– ग्यारसपुर जिला विदिसा

.....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती लल्लावाई विधवा बाबूलाल
2. रमाकान्त गुप्ता
3. विश्णुकांत गुप्ता पुत्रगण बाबूलाल
   समस्त निवासीगण गुलावगंज तहसील
   ग्यारसपुर जिला विदिसा
4. श्रीमती किरण गुप्ता पुत्री बाबूलाल पत्नी
   दामोदर प्रसाद गुप्ता,
   निवासी 97–ए अशोक गार्डन, भोपाल म0प्र0
5. श्रीमती रुखा पुत्री बाबूलाल पत्नी राममूर्ति
   गुप्ता निवासी स्वामी जी की वगिया, अशोक
   नगर जिला गुना
6. श्रीमती लीलावाई विधवा बच्चूलाल आयु--
   65साल
7. अनिल गुप्ता पुत्र बच्चूलाल आयु–45 साल
8. अरूण गुप्ता पुत्र बच्चूलाल आयु 38 साल
9. श्रीमती अलका गुप्ता पुत्री बच्चूलाल आयु
   30 साल
10. श्रीमती अनीता गुप्ता पुत्री बच्चू लाल आयु
    28 साल
11. श्रीमती बबीता गुप्ता पुत्री बच्चू लाल आयु
    22 साल

सभी जाति वैश्य निवासीगण गुलावगंज
तहसील ग्यारसपुर जिला विदिसा

12.मोतीराम पुत्र श्री दयाप्रसाद

13 किशनलाल पुत्र श्री राजाराम

14.अशोक कुमार पुत्र श्री राजाराम

15.विजय सिंह पुत्र स्व. अमोल सिंह आयु 50 वर्ष

16 रघुनाथ सिह आयु–35 वर्ष

17 जयराम आयु–30 साल

18. श्रीमती चन्द्रवाई

19 राम दुलारी वाई

20. अजब वाई, समस्त पुत्र एवं पुत्रीगण
स्व.अमोल सिंह निवासीगण ग्राम
बर्रीघाट जिला विदिसा म0प्र0

21. प्रेम सिंह पुत्र श्री बाबूलाल

22. गुलाव पुत्र श्री बल्लू ग्राम बर्रीघाट थाना
गुलावगंज तहसील– ग्यारसपुर जिला
विदिसा म0प्र..... अनावेदकगण

रिवीजन श्रीमान अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगावाद संभाग भोपाल के द्वारा प्रकरण कमांक 187/90–91 में पारित आदेश दिनांक 8/9/92 के विरूद्ध।

निगरानी 1098.PR/04 (विदिशा)

4-5-16 प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 187/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 08 सितम्बर, 1992 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर एंव उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया।

2/ अधीनस्थ न्यायाय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक ने नायव तहसीलदार टप्पा गुलाबगॅज के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190/110 के अंतर्गत दावा लगाया कि ग्राम बरींघाट की भूमि सर्वे नंबर 365 के रकबा 12.254 हैक्टर में से रकबा 3.500 हैक्टर अमोल सिंह आदि के नाम शासकीय खसरे में अंकित है किन्तु लगभग 20 वर्ष पूर्व उसे 200 रूपये लगान प्रतिवर्ष पर जुताई गई थी तभी से वह काविज होकर निरन्तर खेती करते आ रहा है। नायव तहसीलदार गुलाबगंज ने प्रकरण कमांक 39/86–87 अ–6 दर्ज करके सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 13–7–87 पारित कर दिया एंव आवेदक को भूमिस्वामी घोषित कर उसका नाम खसरे में

निग० – 1098- पीआर/०4 विदिशा

भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के समक्ष अपील कमांक 35/88–89 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 11/2/1991 से अपील अस्वीकार की गई । इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 187/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 08 सितम्बर, 1992 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क रहा है कि अनावेदक अमोल सिंह इत्यादि के कथन रिकार्ड मे है जिनसे प्रमाणित हुआ है कि भूमि पटटे पर जुताई गई है और जब खण्ड साक्ष्य प्रकरण में मौजूद नहीं है तब अपर आयुक्त का विपरीत अर्थ निकालकर दोनों अधीनस्थ न्यायायों के समान निष्कर्षो पर आधारित आदेशों को निरस्त करके प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये नहीं भेजा जा सकता। अनावेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त के आदेश को सही होना बताया है। दोनों अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक का मूल दावा म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190/110 के अंतर्गत है। विचार योग्य है क्या नायव तहसीलदार को संहिता की धारा 190 के अंतर्गत प्रस्तुत दावे को निराकृत करने के अधिकार हैं ? सांवल तथा अन्य विरूद्व लक्ष्मीवाई तथा अन्य 1991 रा.नि. 114 में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि संहिता की किसी भी धारा में राजस्व अधिकारी को मौरूषी कृषक के मामलों को विनिश्चत करने का उपबंध नहीं है – सिविल न्यायलय को धारा 190 के दावे को निराकृत करने की अधिकारिता है। अतएव नायव तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है जिसके कारण अपर आयुक्त ने हितबद्व पक्षों को सुनकर एंव संहिता की धारा 190 के

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षका अभि.वे हस्ता
	विचार क्षेत्र की स्थिति पर पुर्नविचार करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 187/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 08 सितम्बर, 1992 उचित होना पाया गया है। 4/ उपरोक्त विवेचना के अधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 187/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 08 सितम्बर, 1992 उचित पाये जाने से निगरानी निरस्त की जाती है। सदस्य	